प्राथमिक डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई 56

(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

राजस्व लोक अदालत 2017 / कैम्प कोर्ट – महेशवास कलां

अज अदालत सहायक कलेक्टर आमेर, मु0 जयपुर
पीठासीन अधिकारी **कुंतल विश्नोई (आर.ए.एस)**
राजस्व वाद संख्या 88 / 2015 / दावा

वाद संख्या 88 / 2015 — निर्णय दिनांक 29.05.2017

1. प्रभूदयाल यादव पुत्र मांगीलाल यादव जाति अहीर निवासी ग्राम महेशवास कलां, तहसील आमेर जिला जयपुर

वादी

बनाम

1. जयनारायण पुत्र मांगीलाल यादव
2. केसर देवी पत्नी जगदीश यादव
3. जगदीश पुत्र मांगीलाल यादव
4. सुन्दरलाल पुत्र मांगीलाल यादव
5. विनोद कुमार पुत्र जयनारायण यादव
6. राजेन्द्र कुमार पुत्र जयनारायण यादव
   समस्त जाति अहीर निवासीयान ग्राम महेशवास कलां तहसील आमेर जिला जयपुर
7. तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय — दिनांक 29.05.2017

पत्रावली आज दिनांक 29.05.2017 को राजस्व कैम्प महेशवास कलां में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण को बाई मीटस एंड बाउंडस के आधार पर प्राथमिक डिकी किया जाता है। तहसीलदार आमेर को निर्दिष्ट किया जाता है कि ग्राम ग्राम महेशवास कलां तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित खसरा नंबर 895 / 993 रकबा 0.40 है0, 909 रकबा 0.39 है0, 910 रकबा 0.26 है0, 911 रकबा 2.32 है0, 913 रकबा 1.29 है0, 914 रकबा 1.61 है0,916 रकबा 0.01 है0, 917 रकबा 3.90 है0, 918 रकबा 0.55 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 10.73 है0 पर उभयपक्षों की उपस्थिति में भूमि का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस तकासमा कर कुर्रेजात रिपोर्ट शीघ्र भिजवायें। बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 29.05.2017 को जारी किया ।

दस्तखत——
ओहदा——

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
आमेर मु0 जयपुर

मुददई	रूपये	पैसे	मुददायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	—	स्टाम्प अर्जी दावा		—
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बवत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये		बवत इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित			मुतफरित		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.11.10 12:38:12 IST
Reason: SelfAttested

(54)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट आमेर मुख्यालय जयपुर।
बइजलासः कुंतल विश्नोई आर.ए.एस
राजस्व लोक अदालत 2017 / कैम्प कोर्ट – महेशवास कलां

वाद संख्या 88 / 2015

निर्णय दिनांक 29.05.2017

1. प्रभूदयाल यादव पुत्र मांगीलाल यादव जाति अहीर निवासी ग्राम महेशवास कलां, तहसील आमेर जिला जयपुर

वादी

बनाम

1. जयनारायण पुत्र मांगीलाल यादव
2. केसर देवी पत्नी जगदीश यादव
3. जगदीश पुत्र मांगीलाल यादव
4. सुन्दरलाल पुत्र मांगीलाल यादव
5. विनोद कुमार पुत्र जयनारायण यादव
6. राजेन्द्र कुमार पुत्र जयनारायण यादव

समस्त जाति अहीर निवासीयान ग्राम महेशवास कलां तहसील आमेर जिला जयपुर

7. तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र में अंकित किया गया हैं कि ग्राम महेशवास तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित खसरा नंबर 895 / 993 रकबा 0.40 है0, 909 रकबा 0.39 है0, 910 रकबा 0.26 है0, 911 रकबा 2.32 है0, 913 रकबा 1.29 है0, 914 रकबा 1.61 है0,917 रकबा 0.01 है0, 917 रकबा 3.90 है0, 918 रकबा 0.55 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 10.73 है0 भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 का राजस्व रिकार्ड में दर्ज अनुसार हिस्सा है।

प्रतिवादीगण उपरोक्त कृषि भूमि पर बिना बंटवारे के अपनी मनमर्जी अनुसार निर्माण कार्य कर कृषि भूमि की उपज क्षमता को नष्ट कर रहे है। प्रतिवादीगण को ऐसा कोई कानूनी अधिकार नहीं है कि वे संयुक्त खातेदारी की वादग्रस्त कृषि भूमि पर मनमर्जी निर्माण कर उसकी नेचर को बदलकर उसकी उपजाउ क्षमता को नष्ट करें। वादी को यह विधिक अधिकार है कि वह वादग्रस्त कृषि भूमि में से अपने हिस्सा 1 / 4 को मीटस एंड बाउंडस पृथक करवा पृथक से उसका राजस्व खाता खुलवाकर पृथक से लगान निर्धारित किया जावे।

अतः वादपत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि वादग्रस्त आराजी का बाई मीटस एंड बाउंडस के आधार पर तकासमा किया जाकर वादी के 1 / 4 हिस्से का पृथक से खाता खोल उसके लगान का निर्धारण करवाया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादी के हिस्से की कृषि भूमि पर अतिक्रमण ना करें ना ही उसके कृषि कार्य एवं उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करें।

प्रतिवादी सं. 3 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित किया गया है कि मौके पर सभी सहखातेदार ने भूमि का ... है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सहमति ... बंटवारा हो चुका था जो सहमति के अनुसार हुए बंटवारे के आधार पर काबिज ... चले आ रहे जिसका उपयोग, उपभोग रिकार्डेड खातेदार काश्तकार प्रतिवादी सं. 2 उत्तरदातागण नियमित रुप से उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं एवं आपसी सहमति के आधार पर किये गये बंटवारे को राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र खारिज किया जावे।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.11.10 12:38:12 IST
Reason: SelfAttested

(55)

पत्रावली आज दिनांक 29.05.2017 को राजस्व कैम्प महेशवास कलां में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण को बाई मीटस एंड बाउंडस के आधार पर प्राथमिक डिकी किया जाता है। तहसीलदार आमेर को निर्दिष्ट किया जाता है कि ग्राम ग्राम महेशवास तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित खसरा नंबर 895/993 रकबा 0.40 है0, 909 रकबा 0.39 है0, 910 रकबा 0.26 है0, 911 रकबा 2.32 है0, 913 रकबा 1.29 है0, 914 रकबा 1.61 है0, 916 रकबा 0.01 है0, 917 रकबा 3.90 है0, 918 रकबा 0.55 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 10.73 है0 पर उभयपक्षों की उपस्थिति में भूमि का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस तकासमा कर कुर्रेजात रिपोर्ट शीघ्र भिजवायें। पालना हेतु तहसीलदार आमेर को लिखा जावे।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.11.10 12:38:12 IST
Reason: SelfAttested